न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1085 / 2024
अनवान : –

1. इन्द्रमणी पत्नि मदनलाल जाति महाजन साकिन नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 के किला नं. 3/2 की 0.1900 हैक्टर भूमि, किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/2 की 0.2030 हैक्टर किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.1260 हैक्टर, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै. मु. खाला, कुल 6 किता की 0.5950 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके वादीया खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला, किला नं 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला किला न 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.म. खाला, दर्ज कर रखा है लेकिन वर्तमान में पक्का खाला नही चलता है पक्का खाला अन्य जगह विभाग द्वारा बनाया गया है इसलिए खाला दुरुस्त करवाकर उसके उसके स्थान पर वादीया गै.मु. खाला की जगह मुमकिन दर्ज करवाना चाहती है। वर्तमान में सिचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा उक्त किला में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है लेकिन विभाग अन्य जगह पक्का खाला बना दिया गया है। इसलिए रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, को दुरूस्त करवाकर मुमकिन दर्ज करवापाने का अधिकारी है उपरोक्त आशयो की वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारिणी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं. 1 पेरोकार राज ने तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 16 केएनएन सम्वत 2076–79 खाता सं0 7/7 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई पक्का खाला निर्मित नही हैएवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के प.न. 335/403 के किला न0 3/3, 4/3 व 5/3 में सीएडी स्कीम में कोई खाला दर्ज नही है।

साक्ष्यवादी में वादीया द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई खाला निर्मित नही है एव न ही मौके पर चालू क्योंकि सिंचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित चक स्कीम में अन्य जगह पर खाला स्वीकृत किया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त किला न0 में आज भी गै0मु0 खाला दर्ज है इसलिए वादीया उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 के किला नं. 3/2 की 0.1900 हैक्टर भूमि, किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/2 की 0.2030 हैक्टर किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.1260 हैंक्टर, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै. मु. खाला, कुल 6 किता की 0.5950 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके वादीया खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला [illegible] राजस्व रिकार्ड है वादीया का कथन है कि उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई [illegible] एवं न ही मौके पर चालू है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन दर्ज किया जावे। तहसीलदार नोहर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रस्तुत रिपोट के मुताबिक रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई पक्का खाला निर्मित नही हैएवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के प.न. 335/403 के किला न0 3/3, 4/3 व 5/3 में सीएडी स्कीम में कोई खाला दर्ज नही है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खांले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वांद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के प.न. प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिनं जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किला में खाला न तो निर्मित है एवं नही चालु है तथा तहसीलदार नोहर के रिपेार्ट के अनुसार उक्त किलों में पक्के खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी के अनुसार गै0मु0खाला की भूमि का आवंटन किया गया है अर्थात उक्त किला की भूमि में से गै0मु0खाला की भूमि का मुमकिन किये जाने पर राज्यहको को सुरक्षित रखने हेतु गै0मु0 भूमि से मुमकिन किया जाना न्यायोचित है।

वादीया के कथनो की पुष्टि सम्बधित विभाग अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका रिपोर्ट से होने के कारण वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संबुतो एव न्यायिक दृष्टान्तो के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के काबिल डिक्री है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प. न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/07/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1085 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्रमणी पत्नि मदनलाल जाति महाजन साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1085 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप खुडिया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जातीं है कि रोही मौजा 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 7/7 के प.न. 335/403 मु.न. 37 किला नं. 3/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested